न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–234/2013

1. अमर सिंह पुत्र श्री निहालसिंह जाति जाट नि. हंसास, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.

..........वादी

बनाम

1. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकुमार जाति अहीर निवासी माजरा खुर्द तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना, झुन्झुनूं राज.
3. उपपंजियक महोदय, तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज.

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा – खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

दिनांक :– 23–12–2022

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार का रहा कि:–

1. वाके ग्राम बुहाना स्थित खातेदारी काश्त की भूमि हाल जमाबंदी सम्वत् 2066–69 के खाता सं. 30 के खसरा नम्बर 755 रकबा 2.63 है. के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी सं. 1 दर्ज रिकॉर्ड है।
2. वाद वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं. का हिस्सा 1/2 है।
3. वाद वर्णित भूमि वादी की पैतृक भूमि हैं जो उसे अपने पूर्वजों से विरासतन प्राप्त हुई है जबकि प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त भूमि वादी के भाई होशियार सिंह से जरिए रजिस्ट्री विक्रय पत्र के क्रय की है। जिसका नामान्तरकरण 3266 दिनांक 05.01.2013 है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 अजनबी है चुकि वादी व उसके भाई होशियार सिंह ने अपनी उक्त पैतृक सम्पति का बाहमी बंटवारा कर रखा था तथा बंटवारे के अनुसार उक्त विवादित भूमि ख. नं. 755 रकबा 2.63 है. में पश्चिम दिशा की ओर 1/2 भाग यानी 1.32 हैक्टर भूमि वादी काश्त करता है व पूर्व दिशा [illegible] 1/2 भाग यानी 1.31 है. भूमि वादी का भाई होशियार सिंह काश्त करता था [illegible] उक्त खसरा नम्बर 755 के 1/2 हिस्सा पूर्व दिशा वाला प्रतिवादी सं. 1 को [illegible] किया है व इसी अनुसार वे काबिज काश्त चले आ रहे है। चूंकि वादी की स्वयं की खातेदारी काश्त की [illegible] खसरा नम्बर 2445/747 का विवादित भूमि खसरा [illegible] 755 के पश्चिम दिशा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

है। जिसमें वादी ने कुआं आदि बना रखा है। व सिंचाई हेतु सुविधा के अनुसार कई वर्ष पूर्व ही उन्होने बंटवारा कर भूमि खसरा नम्बर 755 के पश्चिम दिशा में वादी को उनका हिस्सा बांटकर दिया गया था व उक्त भूमि 755 का पश्चिमी भाग काफी उबड़–खाबड़ व कम उपजाऊ था जिसे वादी ने वर्षो मेहनत कर लाखों रूपयों खर्च कर उसे उपजाऊ बनाया है व पेड़ पौधे लगाकर कृषि सुधार किया है तथा अपने हिस्से में आई खसरा नम्बर 755 का पश्चिम भाग पर काबिज काश्त चला आ रहा है।

4. प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि में कय शुद्धा खातेदार है जो वादी के लिए अजनबी है जिसको वादी ने गत सप्ताह अपनी शामलाती भूमि का खाता विभाजन कर खाता अलहेदा करवा लेने के लिए कहा तो वह साफ इन्कार हो गया ओर कहा की मै तो उक्त भूमि खसरा नम्बर 755 के पश्चिम भाग पर ही काश्त करूगा ये भूमि अधिक उपजाऊ है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि वर्षो पूर्व उसके हिस्से में बंटवारे से आई हुई है। तथा काफी मेहनत कर उसे उपजाऊ बनाने के बारे में भी बताया लेकिन वह वादी की एक सुनने को तैयार नहीं है व एहलानिया कहने लगा कि यदि आसानी से पश्चिमी भाग नहीं छोड़ा तो जबरन लठ के बल पर कब्जा करूगा आपमें दम हो तो रोक लेना व वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने लगा है।

5. प्रतिवादी सं. 1 हरियाणा राज्य का रहने वाला है जो एक अजनबी व्यक्ति है तथा वादी के एहलानिया धमकिया देता है कि मै इस भूमि को भूमाफियाओ को बेचान कर पश्चिम भाग पर कब्जा करवा दुगा यदि ऐसा होता है तो अनावश्यक विवाद बढने की आशंका बनी रहेगी प्रतिवादी सं. 1 बदमाश व लड़ाकु झगड़ालु प्रकृति का व्यक्ति है जो वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर आमाद है। जिसे ऐसा करने से रोका जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना आवश्यक है।

वादीगण ने वादपत्र से अनुतोष चाहा कि–

(क). वाके ग्राम बुहाना स्थित खातेदारी काश्त की भूमि हाल जमाबंदी सम्वत् 2066–69 के खसरा नम्बर 755 रकबा 2.63 है. भूमि में वादी के 1/2 भाग अर्थात 1.32 है. भूमि जो उक्त खसरा नम्बर के पश्चिमी हिस्से की तरफ वादी के कब्जे काश्त की है का खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे व लगान भी अलग से कायम किया जावे।

(ख). कि प्रतिवादी स0 1 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह दौराने दावा वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी पैदा नहीं करे व बिना खाता विभाजन के विवादित भूमि ख. नं. 755 रकबा 2.63 है. के किसी भाग या हिस्से पर रहन, दान, बेचान, आदि नहीं करे ऐसा ना वो स्वयं करे व ना ही अपने अनुचरों से करावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल की गयी। प्रतिवादी सं. 1 बावजुद सम्यक् तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में [illegible]

वादी की ओर से साक्ष्य दस्ता[illegible]69 पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 30.07.2015 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 16.05.2018 को प्राप्त हुई

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिर्पोट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जाहीर की। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 755 रकबा 2.63 है. में वादी के 1/2 भाग अर्थात 1.32 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव ''प्रदर्श अ'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक **23-12-2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:22 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –: सुनील कमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–234 / 2013
निर्णय दिनांक :– 23–12–2022

अमरसिंह **बनाम** विरेन्द्र सिंह आदि

दावा – खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट** की उपस्थिति व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **23–12–2022** को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 755 रकबा 2.63 है. में वादी के 1/2 भाग अर्थात 1.32 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **23–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:22 IST
Reason: SelfAttested